सार-समाचार

पिंकसिटी प्रेस क्लब में विज्ञापन एजेंसी के हितों को लेकर हुई बैठक

जयपुर (कासं)। मीडिया पार्टनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में प्रेस क्लब अधिकारियों में अध्यक्ष मुकेश मीणा, महासचिव राजकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह व पूर्व कोषाध्यक्ष गिर्राज गुर्जर के साथ शिष्टाचार बैठक कर विज्ञापन एजेंसियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विज्ञापन एजेंसियों के हितों की सुरक्षा, मीडिया हाउस और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, विज्ञापन प्रकाशन से जुड़ी समस्याओं तथा विज्ञापन व्यवसाय के विकास को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। पिंकसिटी प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि विज्ञापन एजेंसियां मीडिया उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके योगदान को नकारा/ नजरअंदाज नहीं किया जा सकताञ्इनके हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। इस दौरान भविष्य में संयुक्त रूप से कार्य करने तथा विज्ञापन एवं मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। बैठक में दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने आपसी समन्वय और सहयोग को और मजबूत करने का विश्वास जताया। मीडिया पार्टनर एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष राजीव जैन, उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद शर्मा, सचिव अमित परनामी, प्रचार मंत्री सुशांत विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष शैलेश शर्मा ने इस शिष्टाचार बैठक में शिरकत की।

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शुरू की छात्र-केंद्रित रिसर्च प्रमोशन योजना

जयपुर (कासं)। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शोधार्थियों के हित में एक ऐतिहासिक एवं छात्र-केंद्रित पहल करते हुए शैक्षणिक सत्र 2025 से प्रवेश लेने वाले पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए 'कुलपति सीयूराज रिसर्च प्रमोशन स्कीम' प्रारंभ करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना न केवल शोधार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें बिना किसी वित्तीय चिंता के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए प्रेरित भी करेगी। यह पहल विश्वविद्यालय में अनुसंधान, नवाचार एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता की सशक्त संस्कृति को और अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।

यह योजना विशेष रूप से नॉन-नेट फेलोशिप प्राप्त शोधार्थियों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र शोधार्थियों को वर्तमान नॉन-नेट फेलोशिप के अतिरिक्त प्रति माह 5,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही शोध संबंधी व्ययों हेतु 10,000 की अतिरिक्त आकस्मिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह अनुभव किया कि वर्तमान नॉन-नेट फेलोशिप राशि शोधार्थियों की शैक्षणिक एवं दैनिक आवश्यकताओं की प्रभावी पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है ताकि मेधावी विद्यार्थियों को शोध के प्रति आकर्षित किया जा सके तथा विश्वविद्यालय में नवाचार, शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं अनुसंधान की सुदृढ़ संस्कृति को और अधिक बढ़ावा मिल सके। हमारा मानना है कि शोधार्थियों में किया गया निवेश ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के भविष्य में किया गया निवेश है।

श्रीमद् भागवत कथा में गूंजा श्रीकृष्ण भक्ति का रस, श्रद्धालु हुए भाव-विभोर

जयपुर (कासं)। आदर्श नगर के भाटिया भवन में भाटिया बिरादरी प्रबंध समिति द्वारा आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की अलौकिक एवं दिव्य लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया।सुरेश शास्त्री ने रास पंचाध्यायी, कंस वध, भ्रमर गीत एवं रुक्मिणी विवाह प्रसंग का विस्तार से वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भक्ति, प्रेम और धर्म का संदेश दिया। कथा श्रवण के दौरान पूरा पांडाल भक्ति रस में सराबोर नजर आया तथा श्रद्धालु भाव-विभोर होकर श्रीकृष्ण भक्ति में लीन हो गए।

सुरेश शास्त्री ने रास पंचाध्यायी प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि यह केवल भगवान श्रीकृष्ण की लीला नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति निष्काम, निस्वार्थ और अनन्य प्रेम संसार को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा वृंदावन की रज में गोपियों संग किया गया महारास प्रेम, समर्पण और भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है।

इसके बाद कंस वध प्रसंग का वर्णन करते हुए शास्त्री ने कहा कि जब-जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा पहुंचकर अत्याचारी कंस का अंत किया और जनता को भय एवं अन्याय से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कहा कि कंस केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और अधर्म का प्रतीक है, जिसका अंत होना निश्चित है।

भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों के विरह भाव का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया। शास्त्री ने बताया कि जब श्रीकृष्ण मथुरा चले गए तब वृंदावन की गोपियां उनके वियोग में व्याकुल हो उठीं। उद्धव जब श्रीकृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन पहुंचे, तब गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाकर अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की। यह प्रसंग प्रेम, समर्पण और भक्ति की गहराई को दर्शाता है। कथा के दौरान कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं।

रुक्मिणी विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए व्यास पीठ से कहा कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने भगवान श्रीकृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और अंततः भगवान ने उनका हरण कर विधिपूर्वक विवाह किया।

राजस्थान को रेलवे की बड़ी सौगात, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत अब 20 कोच के साथ

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी नई रेल सेवाओं और परियोजनाओं की सौगात

जयपुर (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान को रेल सेवाओं और परियोजनाओं की सौगात दी।

इस अवसर पर गाड़ी संख्या 04871, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की डिब्बा संरचना को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच किए जाने तथा साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस रेलसेवा का जैसलमेर तक विस्तार सहित कोच केयर कॉम्पलेक्स, जैसलमेर का शुभारम्भ किया गया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नियमित गाड़ी संख्या 26481/26482, जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा में दिनांक 24.05.2026 से 02 एक्जीक्यूटिव चेयरकार, 16 वातानुकूलित चेयरकार एवं 02 ड्राइवर पावर कार सहित कुल 20 कोच रहेंगे। इससे यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध होंगी तथा यात्रा सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे विश्वस्तरीय सुविधाओं की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि रेल केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि देश की जीवनरेखा है तथा पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान और विशेषकर जोधपुर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विगत समय में बहुत सी सौगातें प्रदान की है, जिससे मारवाड़ क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, पोखरण और आस पास के क्षेत्रों में रेल कार्यों के लिए भी रेल मंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी रेल कार्यों के लिए रेल मंत्री जी का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊर्जा बचत के आह्वान का भी उल्लेख किया और सभी से इसमें सहयोग की अपील की।

उप मुख्यमंत्री ने 'विजिट माय स्टेट' जैसे विशेष अभियान चलाने का दिया सुझाव

जयपुर (कासं)। उप मुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय से पर्यटन सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। पर्यटन सचिव श्रीमती शुचि त्यागी और पर्यटन आयुक्त श्रीमती रुक्मिणी रियाड़, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पवन जैन सहित RATO प्रेजिडेंट महेन्द्र सिंह राठौड़, एवं सुश्री शांभवी सिंह, FHTR प्रेजिडेंट सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, ADTOI प्रेजिडेंट हेम सिंह, FRTO प्रेजिडेंट योगेंद्र सिंह, HRAR से तरुण बंसल एवं अधीरज सिंह, होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के प्रेजिडेंट हुसैन खान एवं सचिव रणविजय सिंह, ॥स्न्नक्र प्रेजिडेंट पवन मेहता एवं अन्य सम्बंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में वर्षपर्यंत पर्यटन बनाए रखने पर चर्चा की गई।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित

एचपीवी टीकाकरण को लेकर जिला कलक्टर के जागरूकता बढ़ाने के निर्देश

जयपुर (कासं)। जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिले में संचालित एचपीवी टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने एचपीवी टीकाकरण के संबंध में आमजन के बीच अधिकाधिक जागरूकता प्रसारित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र 14 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियों को समय पर टीकाकरण का लाभ मिल सके। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के संबंध में उन्होंने पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, ओआरएस की पर्याप्त व्यवस्था रखने तथा अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में कूलर एवं पंखों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर संचारी रोग (एनसीडी) कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयुवर्ग के रोगियों एवं उनके परिजनों की नियमित स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही टीकाकरण कार्यक्रमों की पोर्टल पर समयबद्ध एंट्री सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मां वाउचर योजना की समीक्षा करते हुए योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जिला कलक्टर ने दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लंबित भुगतानों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए।

बैठक में किलकारी कार्यक्रम एवं मोबाइल अकादमी पर राज्य प्रतिनिधि स्वाति द्विवेदी द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, एएनसी, परिवार कल्याण, लाडो प्रोत्साहन योजना, वय वंदन योजना, हरियालो राजस्थान अभियान, आभा कार्ड, आयुष्मान आरोग्य योजना, अनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान, आईएचआईपी पोर्टल पर डेटा एंट्री, यूडीआईडी, संस्थागत प्रसव, पीसीपीएनडीटी योजना, आरबीएसके योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, आगामी विश्व तंबाकू निषेध दिवस एवं स्टॉप डायरिया कैम्पेन सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

किसानों को निर्बाध उर्वरक आपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित

राजस्थान में सहकारी समितियों से ही होगा उर्वरक वितरण

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इफको एवं कृभको के अधिकारियों को पाबंद किया है कि राज्य में उर्वरक वितरण का कार्य पूर्ण रूप से क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए निजी डीलरों के माध्यम से उर्वरक वितरण पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए।

दक शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आगामी खरीफ एवं रबी सीजन में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण सुनिश्चित होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो सकेगी तथा कालाबाजारी की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि जिन ब्लॉकों में अभी सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया एवं डीएपी आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां आगामी दिनों में वितरण तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री ने नकली खाद पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए कि सहकारी समितियों के माध्यम से केवल इफको-कृभको आदि सहकारी मॉडल पर आधारित चुनिंदा कम्पनियों की खाद ही बिक्री की जाए।

'पंचम वेद-नाट्यशास्त्र पर एकाग्र' ग्रंथ का लोकार्पण

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को लोकभवन में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'नाट्यशास्त्र: पंचम वेद पर एकाग्र' का लोकार्पण किया। साहित्य अकादेमी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कला मर्मज्ञ डॉ. राजेश कुमार व्यास के संपादन में प्रकाशित इस ग्रंथ में देश के मर्मज्ञ विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में नाट्यशास्त्र के विविध आयामों पर लेखन किया है। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी राजकुमार सागर भी उपस्थित रहे। बागडे ने भारतीय ज्ञान परम्परा पर की गई इस पहल की सराहना करते हुए संपादक, लेखक डॉ. राजेश कुमार व्यास को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में यह महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इससे पाठकों को नाट्यशास्त्र ग्रंथ को समझने की नई और मौलिक दृष्टि मिल सकेगी। उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक फुरकान खान द्वारा ग्रंथ प्रकाशन के लिए की गई पहल की भी सराहना की।

क्यों है ग्रंथ महत्वपूर्ण

नाट्यशास्त्र को अप्रैल 2025 में यूनेस्को के प्रतिष्ठित %मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड% रजिस्टर में शामिल किया था। इसे पंचम वेद कहा गया है। इसमें 37 अध्याय है। नाट्य में रस, संगीत, नृत्य आदि के साथ ही कलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण आख्यान और सूत्र इसमें हैं। अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका लिखी थी। इसमें ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को ग्रहण कर रचा गया है। यह भारत की कालजयी क्लासिक है। संस्कृत से इसके अनुवाद तो प्रकाशित हुए हैं परन्तु इससे जुड़े विषयों पर बहुत अधिक चिंतन—मनन नहीं हुआ है।

शुद्धिपत्र

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

CIN: L65910MH1984PLC032639

पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नं. 601, छठी मंजिल, पिरामल अमिति बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070-T +91 22 3802 4000

शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर-6, ब्लॉक ए, सेक्टर-2, नोएडा, यू.पी-201301.

इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और प्रातःकाल (हिंदी), जयपुर संस्करण में 13-05-2026 को प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री सूचना के विज्ञापन का संदर्भ लें, जो निम्नलिखित उधारकर्ताओं और लैन नंबर के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। हम यह सूचित करना चाहते हैं कि नीलामी तिथि में अनजाने में हुई त्रुटि के कारण गलत नीलामी तिथि प्रकाशित हो गई थी। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि सही विवरण पढ़ें। कृपया नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें।

क्रम संख्या	ऋणकर्ता का नाम और ऋण खाता संख्या	गलत नीलामी तिथि	सही नीलामी तिथि
1.	अमृत पाल सिंह - 27400000218 और 27400000297	28.05.2026	29.05.2026
2.	रानी कुमारी - 196DEL35267	28.05.2026	29.05.2026

दिनांक: 23.052026
स्थान: राजस्थान

हस्ताक्षर/- (अधिकृत अधिकारी), पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, झालावाड़ आगार

निविदा-सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम झालावाड आगार में केन्टीन स्टॉल हेतु निविदा आंमत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित राशि रूपये 590/— नकद जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव 25.05.2026 को 14:00. बजे तक जमा करा सकते है। निविदा प्रस्ताव उसी दिन 15:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोलें जावेंगे। इस सम्बन्धा में विस्तृत विवरणा निगम वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc एवं SPP पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। UBN: RTC2627SLOB00165

राज.संवाद/सी/26/3333 विज्ञापन संख्या 86/2026-27 मुख्य प्रबन्धक

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मण्डल

गैर किराया राजस्व अनुबंधों के लिए ई-निलामी सूचना

गैर किराया राजस्व अनुबंधों की ई-निलामी के लिए बोलीयाँ आमंत्रित की जाती है। कैटलॉग पहले ही IREPS पोर्टल पर अपलोड कर दिये है और विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

कैटलॉग सं. NFR-ADI-09-26

अनुबंध का प्रकार	केटेगरी
पार्किंग	• मिक्स्ड • पार्किंग सह स्टैकिंग
पे एण्ड युज़	• शौचालयों • प्रतिक्षा/रिटायरींग/क्लॉक रुम
विभिन्न-स्टेटीक-सेवाएँ	• वैस्ट मेनेजमेंट
विभिन्न-स्टेटीक-सामान्य	• डिजीटल लाउंज • एक्ज़ीक्युटीव लाउंज • रिलेक्सेशन झोन • ओटोमेटीक वेन्डिंग मशीन • अधिकारी विश्रामगृह • ग्रोसरी एवं फोटोकोपी किओस्क • डिज़ीटल स्टोरेज लॉकर • गेम झोन
विभिन्न-मोबाईल-सामान्य	• लाईफस्टाईल मेगेजीन

ई-निलामी की तारीख एवं समय: लोट्स के लिए ई-निलामी दिनांक: 09/06/2026 को 11:00 बजे प्रारंभ होगी। ADI-043

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

ACRE MAKING ASSETS WORK

पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, 110019 कॉर्पोरेट कार्यालय: एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड, यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुंबई - 400 051

परिशिष्ट IV-A अचल संपत्ति की बिक्री के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ी जाए।
आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड, जो एकर-178-ट्रस्ट [सीआईएन: U65993DL2002PLC115769] ('सुरक्षित लेनदार') के न्यासी के रूप में कार्य कर रही है, के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को 25 जून 2026 को दोपहर 2:30 बजे दोपहर 3:30 बजे तक, से 'जैसा है, जहां है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी उपलब्ध हैं' के आधार पर बेचा जाएगा। ऋण खाता संख्या H4D2FRL0335923 के अंतर्गत बकाया राशि 15,10,066.86/- रुपये (पंद्रह लाख दस हजार छियासठ रुपये और छियासी पैसे मात्र) की वसूली के लिए, जिसमें बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलंब शुल्क सहित) और 21.05.2026 तक का ब्याज, साथ ही ऋण समझौतों और अन्य संबंधित ऋण दस्तावेजों के अनुसार 22.05.2026 से लागू भविष्य का ब्याज, कानूनी खर्च और अन्य शुल्क शामिल हैं, जो सुरक्षित लेनदार को अरुण सक्सेना और रेखा सक्सेना से देय हैं।
उपरोक्त ऋण खाता संख्या H4D2FRL0335923, साथ ही सभी अधिकार, स्वामित्व, हित, अंतर्निहित सुरक्षा, गिरवी और/या गारंटी, जिसमें अचल संपत्ति भी शामिल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड को, जो 'ACRE-178-ट्रस्ट ('ACRE/सुरक्षित लेनदार') के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है, दिनांक 23.09.2025 के हस्तांतरण समझौते के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया गया था।
अचल संपत्ति का आरक्षित मूल्य 22,70,000 रुपये (बाईस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) होगा और बयाना राशि ('ईएमडी') 2,27,000 रुपये (दो लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) होगी, यानी आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर।

अचल संपत्ति का विवरण

कृषि-विरोधी संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार है: मकान/प्लॉट संख्या 14, क्षेत्रफल 23x45-1030 वर्ग फुट, शुभम सिटी, आनंद विहार के पास, झालावाड़, राजस्थान-326001 उस पर निर्मित भूमि सहित, सीमाएँ: पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट संख्या 13, दक्षिण: प्लॉट संख्या 15
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.acreindia.in पर दिए गए लिंक को देखें; मोबाइल नंबर: +91 99110-44214; ईमेल आईडी: rohan.sawant@acreindia.in; श्री कुणाल कसवा, ईमेल आईडी: kunal.kaswa@acreindia.in; मोबाइल नंबर: +91-89469-61908. बोली लगाने के लिए, https://www.bankeauctions.com/ पर लॉग इन करें।

दिनांक: 23-05-2026
स्थान: झालावाड़ (राजस्थान)

हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी
संपत्ति देखभाल एवं पुनर्निर्माण उद्यम लिमिटेड
एकड़-178 ट्रस्ट के न्यासी

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 4/10, मैत्री टावर, बोम्मनहल्ली होसुरमेन रोड, बेंगलुरु- 560068

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	अभिषेक पाटिल/ विजयकुमार पाटिल/ TBBLR00006913491	वह समस्त भूखंड एवं संपत्ति जो एक वाणिज्यिक संपत्ति है, जिसका सीटीएस नंबर 1585 और सीएमसी नंबर 13-03-145 है, और क्षेत्रफल 05.02 वर्ग मीटर है; 2. सीटीएस नंबर 1586/बी, सीएमसी नंबर 13-3-1458, जिसका क्षेत्रफल 9.29 वर्ग मीटर है; और 3. सीटीएस नंबर 1586/ए1, सीएमसी नंबर 13-3-145ए, जिसका क्षेत्रफल 96.12 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति इलकल के सीटीएस के वार्ड नंबर 2 में स्थित है, जो जिला बागलकोट सीएमसी के अंतर्गत आता है। यह इलकल की सीमाओं और उप-रजिस्ट्रार इलकल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सीटीएस नंबर 1585 की चतुर्सीमा- उत्तर में: सड़क; दक्षिण में: सीटीएस नंबर 1586बी; पूर्व में: चिल्लाल स्टूडियो; पश्चिम में: राजोली की दुकान। सीटीएस नंबर 1586/बी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर में: सीटीएस नंबर 1585; दक्षिण में: सीटीएस नंबर 1586ए1; पूर्व में: चिल्लाल स्टूडियो; पश्चिम में: राजोली की दुकान। सीटीएस नंबर 1586/ए। की चतुर्सीमा- उत्तर में: सीटीएस नंबर 1586; दक्षिण में: सीएमसी मार्केट; पूर्व में: सीएमसी मार्केट; पश्चिम में: राजोली की दुकान।/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि 19/05/2026	18.02.2026 रु. 62,48,514.00/-	बैंगलोर

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : मई 23, 2026
स्थान : जयपुर

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/ जोन-7/2026/डी- दिनांक: 13.05.2026

सार्वजनिक सूचना

बीपीसी (एलपी) की 428वीं बैठक दिनांक 07.04.2026 में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में मास्टर विकास योजना 2025 के जोनल विकास योजना 11 बी की प्रस्तावित 30 मीटर सडक का अलाईन्मेंट मौके पर भिन्न है एवं मौके पर उपरोक्त सम्पूर्ण सड़क पॉइन्ट A1 से D1, A से D सम्पूर्ण चौडाई में मौके पर निर्मित है। जिसके दृष्टिगत वर्तमान में प्रश्नगत सडक का अलाईन्मेंट जोनल विकास योजना के अनुसार कायम किया जाना संभव नहीं है। जोन द्वारा समिति को यह भी अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत 30 मीटर सडक पर वर्ष 2011 में ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा जारी किया गया है एवं पूर्व दिशा की ओर आवासीय योजना कनक वृन्दावन व पश्चिम दिशा की ओर यू.डी.बी. सिरसी विला आदि योजनाऐं अनुमोदित है, जिसमें प्रश्नगत 30 मीटर सडक की अलाईन्मेंट जोनल विकास योजना से भिन्न है।
जोनल विकास योजना 11 बी की प्रस्तावित 30 मीटर सडक का अलाईन्मेंट में पूर्व कमिटमेंट के अनुरूप परिवर्तन होने दृष्टिगत जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) की कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त सड़क (UDB सिरसी विलाज से कनक वृंदावन कॉलोनी तक) के अलाईन्मेंट के संबंध में प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत सार्वजनिक समाचार पत्र में आम सूचना का प्रकाशन 30 दिवस अवधि हेतु जन साधारण से आपत्ति/सुझाव हेतु आमंत्रित किये जा रहे है जिस किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219, जोन-7 में दर्ज करावें। निर्धारित समयावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जोनल विकास योजना-11बी में संशोधन कर दिया जायेगा।
उक्त विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाईट jda.rajasthan.gov. पद पर देखा जा सकती है। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13.05.2026 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-07

राज.संवाद/सी/26/3356